संख्या-116/2019/1786/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 26 अप्रैल 2019

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-54-55/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ/ (525)/ए0टी0एस0-वित्तीय स्वीकृति/2019-20 दिनांक-10.04.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-83 के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-19147.63 लाख (रू0 एक अरब इक्यानबे करोड़ सैतालीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि तालिकानुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत धनराशि
	अनुदान संख्या-83 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय योजना-		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	01-वेतन	1234.10	1234.10
2	02-मजदूरी	435.00	435.00
3	03-मंहगाई भत्ता	185.12	185.12
4	04-यात्रा व्यय	4.29	4.29
5	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.73	1.73
6	06-अन्य भत्ता	1.00	1.00
7	07-मानदेय	1.00	1.00
8	08-कार्यालय व्यय	94.00	94.00
9	09-विद्युत देय	500.00	500.00
10	10-जलकर /जलप्रभार	3.30	3.30
11	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13.20	13.20
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	99.00	99.00
13	13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2.00	2.00
15	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	1.00
16	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00	10.00
17	29-अनुरक्षण	198.00	198.00
18	39-औषधि तथा रसायन	18.80	18.80
19	41-भोजन व्यय	6600.00	6600.00
20	42-अन्य व्यय	115.72	115.72
21	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2860.00	2860.00
22	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.45	1.45
23	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22.00	22.00
24	49-चिकित्सा व्यय	7.26	7.26
25	51-वर्दी व्यय	5.00	5.00
26	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	67.66	67.66
27	55-मकान किराया भत्ता	50.00	50.00
28	56-नगर प्रतिकर भत्ता	15.00	15.00
29	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	6600.00	6600.00
	योग	**19147.63**	**19147.63**

(रू0 एक अरब इक्यानबे करोड़ सैतालीस लाख तिरसठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019 - 231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये। स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि से प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सामग्री एवं सम्पूर्ति आदि का क्रय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा स्टोर परचेज रूल्स के तहत किया जायेगा।

(4)-वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5)-पूर्व वर्षो में स्वीकृत धनराशियां यदि अभी भी पी0एल0ए0/बैंक खातों एवं पोस्ट आफिसों में जमा है तो उनका उपयोग सुनिश्चित करने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत/प्राप्त होने पर ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)-उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(7)-उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनुसचिव

संख्या-116/2019/1786/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार,(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in